APP-A
Crim-I

FROM No. -III

फर्द अहकाम

(नियम–26)

अज अदालत सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.) गुलाबपुरा
केम्प कोर्ट – कंवलियास

मोती पिता सुखदेव जाट
निवासी– बिजयपुर

बनाम

मुस्मात लहरी पत्नि उगमलाल जाट
वगेराह, निवासी– बिजयपुर

किस्म मुकदमा– वादपत्र अन्तर्गत धारा– 88, 188 रा.टी.ए. व 111, 136 रा. ले.रे.ए.

प्रकरण संख्या– 307/2012

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशयल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
30.05.2018	पत्रावली आज केम्प कोर्ट कंवलियास पर पेश हुई। वकील उभयपक्ष उपस्थित। वकील उभयपक्ष के द्वारा प्रकरण में अंमित वहस सूने जाने पर वकील उभयपक्ष के द्वारा अपनी सहमति व्यक्त करनें से वकील उभयपक्ष की वहस सूनी गई। वक्त वहस वकील वादी का कथन था कि वादग्रस्त आराजीयात साविक जमावन्दी सम्वत् 2020–2023 के अनुसार देवीसिंह 1/4, फौजसिंह 1/4, ज्वारसिंह 1/4, उमरावसिंह 1/4 के नाम हिस्सा दर्ज था। इनमें से ज्वारसिंह ने अपना 1/4 हिस्सा 26 बीघा 17 बिस्वा को दिनांक 06.06.1966 को रामकुँवार को वेच दी तथा दिनांक 17.06.1966 को विक्रय पत्र पंजीवृद्ध कराकर वादीगण को कब्जा सोप दिया। इसी प्रकार खातेदार फौजसिंह के द्वारा भी अपना 1/4 हिस्सा उगमलाल, रामलाल जाट को विक्रय कर कब्जा सोंप दिया था, उसके वाद खातेदार उगमा, रामलाल, रामकुँवार का स्वर्गवास हो गया, जिसमें से रामलाल की विरासत से प्रतिवादी संख्या– 2 से 6 के नाम पर अंकन हो चुका है, लेकिन प्रतिवादी संख्या– 1 जो कि उगमा की वेवा है व प्रतिवादी संख्या– 6 से 10 रामकुँवार के वारिसान है, उनके नाम राजस्व रेकार्ड में अभी नाम दर्ज नही हुआ है। इसलिए प्रतिवादी संख्या–1 से व प्रतिवादी संख्या– 6 से 10 जो कि उगमा तथा रामकुँवार के वारिसान है, जो अपने नाम हक घोषणा करवाने के अधिकारी होने से राजस्व रेकार्ड में अंकन करना न्यायहित में आवश्यक है। वकील वादी का वहस में यह भी कथन था कि वादीगण ने 26 बीघा 17 बिस्वा जो भूमि खरीदी उसके नवीन फलावट से रकबा 35 बीघा 12 बिस्वा रेकार्ड में दर्ज होना चाहिये जवकि 41 बीघा 05 बिस्वा दर्ज कर दिया गया जो विधि विरुद्ध है। अन्त में कथन किया कि प्रतिवादी संख्या– 01 से 10 के नाम पर भूमि में से 05 बीघा 14 बिस्वा जमीन कम की जाकर वादीगण के नाम दर्ज कराई जावें। जबकि वकील प्रतिवादी का कथन था कि विवादित आराजी नम्वर– 1333 रकबा 41 बीघा 05 बिस्वा भूमि का	सहायक कलेक्टर (S. D. O.) गुलाबपुरा जिला-भीलवाड़ा

Scanned by CamScanner

नामान्तकरण प्रतिवादी के मौरुस के नाम करीब 30 साल पूर्व खुला जिसको वादीगण द्वारा किसी प्रकार की कोई चुनौती नही दी है। आराजीयात साबिक सेटमेन्ट के अनुसार ही प्रतिवादीगण के मौरुस के नाम दर्ज हुई है, जो सही है। इसलिये अब वादीगण को प्रतिवादीगण के मौरुस की मृत्यु के बाद बिना किसी आधार के यह वाद पत्र पेश किया है, जो खारिज फरमाया जावें।

मैनें वकील उभयपक्ष को सूना । बहस पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तोवजात का अध्ययन किया । विवेचन निम्न प्रकार से रहा है–

वादीगण के द्वारा प्रस्तुत जमाबन्दी सम्वत् 2020– 2023 मौजा सनोदिया तहसील हुरडा के अनुसार वादग्रस्त आराजी नम्बर– 671 रकबा 107 बीघा 09 बिस्वा भूमि देवीसिंह पिता मानसिंह, फौजसिंह पिता भूरसिंह, जुवारासिंह पिता सोहन सिंह, उमराव सिंह पिता मोहन सिंह राजपूत साकिन देह के नाम दर्ज रेकार्ड होना तथा नामान्तकरण संख्या– 43 से रामकुँवार पिता हरदेव जाट साकिन पालिया खेडा के नाम रकबा 26 बीघा 17 बिस्वा तथा नामान्तकरण संख्या– 44 से रुपा पिता बलदेव जाट, साकिन पालिया खेडा के नाम रकबा 26 बीघा 17 बिस्वा व नामान्तकरण संख्या– 45 से मोती पिता सुखदेव जाट, देवी पिता बालु जाट साकिन पालिया खेडा के नाम रकबा 26 बीघा 17 बिस्वा भूमि दर्ज रिकार्ड होना प्रकट आया है।

पत्रावली में उपलब्ध सेटलमेन्ट के खसरा सम्वत् 2021– 2022 मौजा सनोदिया तहसील हुरडा के अनुसार ए.एस.औ. के मिसल नम्बर– 1628/1966 दिनांक 07.06.1967 से आराजी नम्बर– 1333 उगमा, रामलाल, रामकुँवार, पिता हरदेव जाट के नाम तथा आराजी नम्बर– 1334 मोती पिता सुखदेव, देवी पिता बालू जाट के नाम दर्ज रिकार्ड होना भी स्पष्ट हुआ है।

पत्रावली में उपलब्ध हाल जमाबन्दी सम्वत् 2064– 2067 मौजा सनोदिया तहसील हुरडा के अनुसार हाल आराजी नम्बर– 1333 रकबा 41 बीघा 05 बिस्वा भूमि उगमा, रामलाल, रामकुँवार पिता हरदेव जाट के नाम दर्ज होना तथा नामान्तकरण संख्या– 1565 दिनांक 21.06.2010 के अनुसार विरासत से रामलाल 1/3 के बजाय ब्रह्मा, उंकार पिता रामा, कंकू पुत्री रामा, मांगी बेवा रामा 1/3 दर्ज रेकार्ड होना तथा आराजी नम्बर– 1334 रकबा 29 बीघा 18 बिस्वा भूमि मोती पिता सुखदेव, देवी पिता बालु जाट के नाम दर्ज रिकार्ड होना प्रकट आया है।

यहाँ वादीगण का मुख्य कथन यह है कि वादीगण के द्वारा खरीद शुदा रकबा 26 बीघा 17 बिस्वा भूमि का नवीन फलावट से 35 बीघा 12 बिस्वा भूमि उनके खाते में दर्ज होनी चाहिये थी जिसके मुकाबले में 29 बीघा 18 बिस्वा भूमि ही उनके खाते में दर्ज की गई जबकि प्रतिवादीगण के द्वारा 26 बीघा 17 बिस्वा भूमि खरीद की गई। जिसके मुकाबले में उनके खाते में 41

यक कलेक्टर
D. O.) गुलाबपुरा
जला-भीलवाड़ा

Scanned by CamScanner

बीघा 05 बिस्वा भूमि दर्ज कर दी जो साबिक रकबा की रुह से 05 बीघा 14 बिस्वा अधिक है।

चुँकि पत्रावली में उपलब्ध राजस्व रेकार्ड के अनुसार वादीगण के द्वारा 26 बीघा 17 बिस्वा भूमि तत्कालिन खातेदार से खरीद कर उक्त साबिक रकबा 26 बीघा 17 बिस्वा की रुह से नवीन रकबा 35 बीघा 12 बिस्वा भूमि उनके नाम दर्ज होनी चाहिये थी, जिसके मुकाबले में हाल राजस्व रेकार्ड में वादीगण के खाते में 29 बीघा 18 बिस्वा भूमि दर्ज है, जो साबिक रकबा की रुह से 05 बीघा 13 बिस्वा कम है। इसी प्रकार प्रतिवादीगण के मौरुस के द्वारा भी 26 बीघा 17 बिस्वा भूमि खरीद की थी, जिसका भी नवीन रकबा 35 बीघा 12 बिस्वा भूमि उनके नाम दर्ज होनी चाहिये जिसके मुकाबले में उनके खाते में 41 बीघा 05 बिस्वा भूमि दर्ज है जो 05 बीघा 13 बिस्वा भूमि अधिक दर्ज है, इस प्रकार से वादीगण 05 बीघा 13 बिस्वा कमी भूमि के लिए हक घोषणा करवाने के अधिकारी पाये जाने से दावा वादी स्वीकार किये जाने योग्य है।

"निर्णय"

दावा वादी डिक्री किया जाकर मौजा सनोदिया तहसील हुरडा की आराजी नम्बर– 1333 रकबा 41 बीघा 05 बिस्वा भूमि में से 05 बीघा 13 बिस्वा भूमि कम की जाकर वादीगण को 05 बीघा 13 बिस्वा भूमि के लिये खातेदार घोषित किया जाता है, शेष इन्द्राज बदस्तूर रहे । तद्नुसार डिक्री पर्चो मूर्तिब हो। पत्रावली शूमार फैसल होकर दाखिल दफतर करें। निर्णय आज दिनांक 30.05.2018 को खुली अदालत केम्प कोर्ट कंवलियास पर सूनाया गया ।

(नन्दकिशोर राजोरा)
सहायक कलेक्टर
(S. D. O.) गुलाबपुरा
जिला-भीलवाड़ा

Scanned by CamScanner